

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।  
कमांक : ई/चिअ/डी-349/2024/122

दिनांक : 17/05/2024

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
गंगापुरसिटी।

विषय:-खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गुढाचन्द्रजी के चार्ज के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि डॉ० दीपेन्द्र, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केमला, गंगापुरसिटी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवदेन किया है कि उनके द्वारा पीएसएम करने के बाद भी क्रमोन्नत पीएचसी पर लगया गया है एवं पिछले 07 माह से चिकित्सक को किसी तरह का कोई चार्ज नहीं दिया गया है। जबकि उनके कनिष्ठ डॉ० राजेश मीणा, चिकित्सा अधिकारी, सीएचसी, केमला एवं बीसीएमओ, गुढाचन्द्रजी का चार्ज दिया हुआ है।

अतः उक्त संबंध में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तैयार कर अविलम्ब निदेशालय को भिजवाने का श्रम करें।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर।

कमांक : ई/चिअ/डी-349/2024/122

दिनांक : 17/05/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-भरतपुर।
3. डॉ० दीपेन्द्र, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड/ई-मेल कराने का श्रम करें।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref  
7197020

Document certified by RAVI PRAKASH  
SHARMA <dydravisharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Ravi  
Prakash Sharma  
Designation: Additional Director  
Date :16-05-2024 10:10:19